| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज |
|---|---|
| | पत्थरगढी 82/2022 |
| 04.10.2023 | पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय पूर्व मे सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। |
| | 04/10/23<br>( दिलीप सिंह )<br>उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(नीमकाथाना)<br>(दिलीप सिंह)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) |

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:32 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)

**पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)**

| प्रकरण संख्या | जीसीएमएस | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
| --- | --- | --- | --- |
| 88 / 2022 | 2022 / 400 | 01.11.2022 | 04.10.2023 |

## उनवान प्रकरण

मालीराम सैनी पुत्र चन्द्राराम आयु 72 वर्ष जाति माली निवासी ढाणी भगुकावाली तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

--प्रार्थी--

बनाम्

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।
2. केदारमल पुत्र भोलूराम
3. कन्हैयालाल पुत्र भोलूराम
4. चिरंजीलाल पुत्र भोलूराम
5. छिगनलाल पुत्र भोलूराम
6. जगदीश प्रसाद पुत्र सीताराम
7. तेजपाल पुत्र भोलूराम
8. तोफानी देवी पुत्री रामनाथ
9. फूली देवी पुत्री रामनाथ
10. बजरंगलाल पुत्र पप्पूराम
11. बनवारीलाल पुत्र भोलूराम

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:32 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

12 बंशीधर पुत्र कानाराम

13 बिदामी देवी पत्नि रामनाथ

14 मक्खनलाल पुत्र रामनाथ

15 मंजू देवी पुत्री रामनाथ

16 मुरारीलाल पुत्र रामनाथ

17 मोहनी देवी पत्नि स्व0 सीताराम

18 मोहनी देवी पुत्री रामनाथ

19 रामकिशोर पुत्र सीताराम

20 रामावतार पुत्र रामनाथ

21 लालचन्द पुत्र भोलूरा

22 शंकरलाल पुत्र रामनाथ

23 सुरेश कुमार पुत्र भोलूराम

24 सांवरमल पुत्र पप्पूराम

25 हीरालाल पुत्र पप्पूराम

26 गीगाराम पुत्र ईशर

27 नारायण पुत्र पेमा

28 भींवाराम दत्तक पुत्र हणमान

29 महादेव पुत्र भूरा

30 साधू पुत्र पेमा

समस्त जाति माली निवासीगण ढाणी [illegible] तहसील श्रीमाधोपुर
जिला सीकर राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:32 IST
Reason: SelfAttested

——अप्रार्थीगण——

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

04/10/21

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपस्थित :–

श्री हनुमान राम सामोता, एड0 अभिभाषक वकील प्रार्थी।

श्री दीपक बाजिया एड0, अप्रार्थीगण संख्या 2, 4 से 6, 12, 14, 20, 21, 23, 24 की ओर से।

पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर– अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कृषि भूमि खसरा नम्बर 2783 रकबा 0.24 हैक्टर चाही 2 तन् ग्राम महरोली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। जिसकी खातेदार प्रार्थी के नाम से अंकित हैं। उक्त भूमि से अब अन्य का कोई संबंध नहीं हैं। भूमि खसरा नम्बर 2786, 2782, 2777, 2785 तन ग्राम महरोली में स्थित हैं। जिसके अप्रार्थीगण नम्बर 2 ता 30 प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि के पडौसी सीवंडोल खातेदार हैं। जिस कारण इन्हे पक्षकार बनाया गया है। उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के आदेश कमांक/भू0अ0/18/41 दिनांक 21.06.2018 की अनुपालना में पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के द्वारा विधिवत रूपेण सीमाज्ञान दिनांक 29.09.2018 को करवाया जा चुका है। फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमियों की विधिवत रूपेण पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। मौके पर कोई फसल काश्त की हुयी नही है। पड़ौसी खातेदार [illegible] को अनायास हैरान–परेशान करते रहते है एवं सीमा [illegible] प्रार्थी पर कब्जा करने पर आमादा रहते है। जो कि काफी [illegible] कहने–सुनने समझाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:32 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

से नही मान रहे है। इसलिये प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि की पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी ऐव कब्जा काश्त की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2783 रकबा 0.24 हैक्टर बाही 2 तन ग्राम महरोली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 की पत्थरगढी फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 29.06.2018 के अनुसार किये जाने के आदेश भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की तामील हुए तीन माह से भी अधिक का समय हो चूका है। बावजूद तामील के हाजिर अदालत नही आने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2, 4 से 6, 12, 14, 20, 21, 23, 24 की ओर से श्री दीपक बाजिया एड0 ने वकालतनामा व अप्रार्थीगण संख्या 3, 7 ता 10, 13, 15 ता 18, 22 की ओर श्री दीपक बाजिया एड0 से अण्डरटेंकिग पेश की। अप्रार्थीगण संख्या 3, 7 ता 10, 13, 15 ता 18, 22 की ओर से पूर्व में अण्डरटेंकिग पेश की गई थी। बावजूद अण्डरटेकिग के दिनांक 05.06.2023 तक वकालतनामा पेश नहीं किए जाने पर अप्रार्थीगण संख्या 3, 7 ता 10, 13, 15 ता 18, 22 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील अप्रार्थीगण संख्या 2, 4 से 6, 12, 14, 20, 21, 23, 24 को जवाब पेश करने हेतु 14 अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी पेश नही किये जाने पर वकील अप्रार्थीगण की जवाबदेही बन्द की गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी में बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाने का निवेदन किया गया। जिस पर प्रकरण में बहस प्रार्थी सुनी गई।

प्रकरण में दौराने बहस प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी मे [illegible] तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए [illegible] करवाये जाने वाले खसरा नम्बर 2783 रकबा 0.24 हैक्टर तन् ग्राम मह[illegible]तेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा भूमि खसरा नम्बर 2786, 2782, 2778, 277[illegible] 2785 तन् ग्राम महरोली के अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:32 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

संख्या 2 लगायत 30 के उक्त वादग्रस्त भूमि के सीवजोड खातेदार काश्तकार होने से इन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर समुचित सुनवाई का अवसर दिया गया है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त मौके पर है तथा मौके पर वर्तमान मे कोई फसल काश्त नही की गई है। प्रार्थी वकील ने पटवारी हल्का महरोली द्वारा दिनाक 29.06.2018 को किये गये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही किये जाने का निवेदन अपनी बहस मे किया है।

हमने प्रार्थी की एक पक्षीय बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2783 रकबा 0.24 हैक्टर चाही–2 की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्डेड होना प्रकट होता है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आवेदन करने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश से सम्बन्धित पटवारी हल्का महरोली के द्वारा दिनांक 29.06.2018 को सीमाज्ञान किया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज भूमियों का सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विधिवत रूप से करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार प्रकरण में पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

## –:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में सीमाज्ञान पटवारी हल्का महरोली के द्वारा दिनांक 29.06.2018 को किए गए

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:32 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 2783 रकबा 0.24 हैक्टर बाही-2 अवस्थित तन् ग्राम महरोली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढी की फीस भू. अ. निरीक्षक फीस 900/- रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/- रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/-रूपये कुल 2100/- रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का महरोली के द्वारा दिनांक 29.06.2018 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो ) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

04/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 04.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:32 IST
Reason: SelfAttested